राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– चक सरदारपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 153 सन 2018

अनवान :–

1. काशीराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र उर्फ राजाराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर
3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 119/128 की कुल 7.3400हैक भूमि में से 2.447हैक भूमि तथा सोतीबडी के खाता संख्या 110/108 की कुल 10.0410हैक में से 397 हिस्सा का 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप पुत्र रामजीलाल के नाम दर्ज है जो रामजीलाल को विरास्तन से प्राप्त हुई है। रोही मोजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 86/84 की कुल 3.024हैक तथा रोही मोज सोतीबडी के खाता संख्या 67/78–79 की कुल 4.8630हैक भूमि प्रताप पुत्र रामजीलाल के नाम से दर्ज है जो हरपत की वसीयत से प्राप्त हुई है रोही मोजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 86/84 की कुल 3.024है तथा सोतीबडी की कुल 4.8630हैक भूमि प्रताप पुत्र रामजीलाल के नाम से दर्ज है जो अपने दतक पिता हरपत से प्राप्त हुई है रामजीलाल की भूमि में प्रताप का कोई हक हिस्सा नही है प्रताप अपने दतक पिता की भूमि में ही हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसे प्राप्त कर लिया है रामजीलाल की भूमि जो प्रताप प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 हकदार हैं सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये रामजीलाल की भूमि जो प्रताप के नाम से दर्ज हुई है को अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प चकसरदारपुरा में पेश हुई वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 हरपत के खोले चला गया था और उसे हरपत की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त हो गया है रामजीलाल की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई है वह वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि प्रताप पुत्र रामजीलाल के नाम से दज है जो विरास्तन से प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप हरपत पुत्र उदाराम का गोद पुत्र है जिसकी वसीयत के अनुसार हरपत की सम्पति प्रताप को जरिये वसीयत प्राप्त हो चुकी है जो प्रस्तुत वसीयत से साबित है प्रतिवादी संख्या 1 जब हरपत के खोले चला गया और उसकी सम्पति को प्राप्त कर लिया है जो वह रामजीलाल की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है ।

वादी का कथन भी यही है कि प्रताप अपने दतक पिता हरपत की सम्पति में से हक हिस्सा जरिये वसीयत प्राप्त कर लिया है तो वह रामजीलाल की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है रामजीलाल की सम्पति में केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने पिता हरपत की सम्पति में से हक हिस्सा प्राप्त कर लिया है और रामजीलाल की सम्पति जो विरास्तन से उसके नाम दर्ज हो गई है वह वादी व

प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की सम्पति है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 86 / 84 के प0न0 334 / 441(23) किला न0 2 / 0.178 ,3 ता 5 / 0.570हैक 6 ता 8 / 0.759हैक , प0न0 335 / 441(24) किला न0 1 ,2 / .430हैक 9 ,10 / 0.506हैक , प0न0 335 / 440(7) किला न0 22 / 0.253 ,मु0न0 86 / 3 / 2 की 0.100हैक गै0मु0 खाला , मु0न0 90 / 10 की 0.228हैक गै0मु0 रास्ता कुल 14 किता की 3.024हैक भूमि प्रताप पुत्र रमाजीलाल के नाम से दर्ज है एवं रोही मोजा सोतीबडी के खाता संख्या 67 / 78–79 के खसरा न0 89 / 2 ख126 / 1 की कुल 4.8630हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 दोनो खातों की भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–चक सरदारपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– चक सरदारपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. काशीराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र उर्फ राजाराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सोतीबडी तहसील नोहर
3. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 153 सन 2018 निर्णय दिनांक01.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा 26 डीपीएन के खाता संख्या 86/84 के प0न0 334/441(23) किला न0 2/0.178 ,3 ता 5/0.570हैक 6 ता 8 /0.759हैक , प0न0 335/441(24) किला न0 1 ,2/ 430हैक 9 ,10/0.506हैक , प0न0 335/440(7) किला न0 22/0.253 ,मु0न0 86/3/2 की 0.100हैक गै0मु0 खाला , मु0न0 90/10 की 0.228हैक गै0मु0 रास्ता कुल 14 किता की 3. 024हैक भूमि प्रताप पुत्र रमाजीलाल के नाम से दर्ज है एवं रोही मोजा सोतीबडी के खाता संख्या 67/78–79 के खसरा न0 89/2 ख126/1 की कुल 4.8630हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 दोनो खातों की भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–चक सरदारपुरा